



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

सत्र 2012-14 के इन्टरमीडिएट प्रथम वर्ष (ग्यारहवीं) की परीक्षा (जिन महाविद्यालयों का माँग पत्र परिषद् कार्यालय में जमा नहीं है) से सम्बन्धित आवश्यक सूचना

विज्ञापित संख्या - 31/2013

सरकार के प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग के पत्रांक 1421 दिनांक 06.06.2013 के आलोक में "एसे इन्टरमीडिएट महाविद्यालयों, जिनको स्थापना अनुमति या प्रस्वीकृति हेतु मामले झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अथवा राज्य सरकार के विचाराधीन है," के छात्र/छात्राओं/अभिभावकों/संबन्धित महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि ऐसे महाविद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा 11 के छात्र/छात्राओं को मात्र एक अवसर (One Time) प्रदान करते हुए (सत्र 2012-14) के ग्यारहवीं कक्षा की परीक्षा के लिये प्रश्न पत्र एवं उत्तरपुस्तिका का निर्धारित प्रपत्र में माँग पत्र एवं शुल्कादि निम्नलिखित शर्तों के अधीन परिषद् कार्यालय, राँची, परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका तथा प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर में जमा लिये जायेंगे:-

- 1) ऐसे महाविद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा 11 के छात्रों को मात्र एक अवसर (One Time) प्रदान करते हुये, इन्हें इन्टर परीक्षा, 2014 में सम्मिलित करायी जा रही है।
- 2) ऐसे महाविद्यालयों को प्रस्वीकृति हेतु निर्धारित अहर्ता को छः माह के अन्तर्गत पूरा करते हुए प्रस्वीकृति प्राप्त कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा ऐसे महाविद्यालय स्वतः बन्द माने जायेंगे।
- 3) यदि भविष्य में ऐसे महाविद्यालयों के द्वारा बिना प्रस्वीकृति/स्थापना अनुमति प्राप्त किये हुये छात्रों का नामांकन किया जाता है, तो इनके विरुद्ध कठोर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
(क) माँग पत्र परिषद् कार्यालय, राँची, क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका एवं प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर में जमा करने की तिथि :- **10.06.2013 से 17.06.2013 तक (कार्यालय अवधि में)।**
(ख) प्रश्न पत्र सह उत्तरपुस्तिका शुल्क की देय राशि 60/- (साठ रुपये) प्रति छात्र/छात्रा।

सभी प्रकार के शुल्क MICR बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से परिषद् कार्यालय राँची के लिये झारखण्ड एकेडमिक काउन्सिल फण्ड, राँची के नाम से देय एवं राँची में भुगतये, क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका के लिये झारखण्ड एकेडमिक काउन्सिल फण्ड, दुमका के नाम से देय एवं दुमका में भुगतये तथा प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर के लिये झारखण्ड एकेडमिक काउन्सिल फण्ड, डाल्टेनगंज के नाम से देय एवं डाल्टेनगंज में भुगतये होगा।

परिषद् की विज्ञापित संख्या 09/2013, जो दिनांक 28.02.2013 को समाचार पत्रों में प्रकाशित है, में निहित प्रपत्र में माँग पत्र जमा करेंगे।

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./-

(सुशील कुमार राय)

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/कॉ. स्था./8848/11/SECY/277/13

Dt. 08.06.2013

D.O.P. 09.06.2013